मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी क्षेत्र - इन्दौर

क्रमांक 6333/29/2022/चयन, इंदौर, दिनांक 3 AUG 2023

//विज्ञप्ति//

राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2021 के तहत सहायक यंत्री (यांत्रिकी) एवं सहायक यंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) पद हेतु उम्मीदवारी निरस्त किए जाने की सूचना ।

आयोग द्वारा विज्ञापन क्र. 16/2021 दिनांक 30.12.2021 एवं शुद्धिपत्रादी के अंतर्गत मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं जल संसाधन विभाग हेतु राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा – 2021 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें सहायक यंत्री (यांत्रिकी.) एवं सहायक यंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) के कुल – 11 पद विज्ञापित किए गए हैं । राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा–2021 का लिखित परीक्षा का परिणाम आयोग द्वारा दिनांक 04.11.2022 को जारी किया गया हैं । उक्त लिखित परीक्षा का परिणाम 02 भागों में जारी किया गया है, जिसमें मुख्य भाग 87 प्रतिशत हेतु कुल–41 एवं प्रावधिक भाग 13 प्रतिशत हेतु कुल–06 आवेदकों को साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह घोषित किया गया हैं । साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों को निर्देशित किया गया था कि पद से संबंधित समस्त वांछित अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 06.12.2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

2/ राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा–2021 के लिखित परीक्षा परिणाम में बिन्दु क्रमांक 08 में उल्लेख किया गया है कि :–

" उपरोक्तानुसार क्रम में प्रमाण पत्रों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति संलगन कर दिनांक 06.12.2022 तक आयोग कार्यालय भेजना सुनिश्चित करें । जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जावेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीद्वारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी । "

2/ राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा–2021 में विज्ञापित पद सहायक यंत्री (यांत्रिकी) एवं सहायक यंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) प्रावधिक भाग 13 प्रतिशत हेतु साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह निम्न लिखित आवेदक के अभिलेख आयोग कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से आदेशानुसार साक्षात्कार की उम्मीद्वारी निरस्त की जाती हैं :–

S.No.	Roll num.	Name	Category	Gender
1	135655	HEMANT JHADE	OBC	Male

3/ सहायक यंत्री (यांत्रिकी) एवं सहायक यंत्री (विद्युत/यांत्रिकी) पद की उम्मीद्वारी निरस्त किए जाने के संबंध में संबंधित आवेदक को यदि कोई आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है तो विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 10 दिवस की अवधि में आपत्ति अभ्यावेदन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जा सकते हैं । आयोग द्वारा निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आपत्ति अभ्यावेदन बिना विचार किए नस्तीबद्ध किए जावेगें ।

02.08.23

उप परीक्षा नियंत्रक